

धारा 162 : सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

धारा 117 और धारा 118 में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सिविल न्यायालय के पास इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के संबंध में कार्यवाही करने या उससे उद्भूत किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता नहीं होगी।
